



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232863
CG-DL-E-24012022-232863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]
No. 43]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

सं. 04/2022-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 43 (अ).—जहाँ कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “ट्रेलर्स के एक्सल” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 8716 के अंतर्गत आता है, के आयात पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवंबर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101(अ), दिनांक 29 नवंबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/7/2021-डीजीटीआर, दिनांक 19 अप्रैल, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'टेलर्स के एक्सल' के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क के 'सर्कमवेंशन' के मामले में अधिसूचना संख्या 04/11/2020-डीजीटीआर, दिनांक 15 सितम्बर, 2020, जिसे दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के तहत यह निर्धारित करने के लिए जांच कार्य शुरू किया था कि क्या चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'टेलर्स के एक्सल' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से भारत को निर्यातित "टेलर्स के एक्सल, जो कि पूर्णतया नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन स्थिति में हो", जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 8716 90 10 के अंतर्गत आता है के आयात पर भी लगाया जाना जरूरी है और फिर उन्होंने अपने अंतिम निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 04/11/2020-डीजीटीआर, दिनांक 14 सितम्बर, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था के तहत यह सिफारिश की थी कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'टेलर्स के एक्सल' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित टेलर्स के एक्सल, जो कि पूर्णतया नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन की स्थिति में हो, पर भी लगाया जाना जरूरी है।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'टेलर्स के एक्सल जो कि पूर्णतया नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन की स्थिति में हो' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 69/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 584 (अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगाया था और यह प्रतिपाटन शुल्क 13 दिसम्बर, 2021 से लागू होना था और इसे उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, के तहत "टेलर्स के एक्सल" पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के सहअवसानिक होना था।

और जहां कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/7/2021-डीजीटीआर, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में, अन्य बातों के अलावा, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

- (i) इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने के बाद भी फालतू आयात जारी रहा है और शुल्क से बचने के लिए स्रकमवेंशन जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं, इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि यदि वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो ऐसे आयात की दर में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है;
- (ii) कि इस स्तर पर यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसे फालतू आयात के जारी रहने/पुनः होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना बनी रहेगी;

और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवंबर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101(अ), दिनांक 29 नवंबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आता है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर उस दर से जो कि कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर है, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	8716 90 10	*टेलर्स के एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	गुआंगडोंग FUWA इंजीनियरिंग मेन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड	0.16	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
2	8716 90 10	*टेलर्स के एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	0.31	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
3	8716 90 10	*टेलर्स के एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	0.31	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर

*इसमें शामिल हैं – “टेलर्स के एक्सल, जो कि सेमी नॉक डाउन/पूर्णतया नॉक डाउन की स्थिति में हो” अर्थात् जो अनअसेम्बल्ड, अनफिनिशड या अपूर्ण रूप में हो,

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसको आस्थगित नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

(1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/15/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

जैनेंद्र सिंह कंधारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2022

No. 04/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 43 (E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/7/2021-DGTR dated the 19th April, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Axles for Trailers’ (hereinafter referred to as the ‘subject goods’), falling under heading 8716 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the ‘subject country’), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 54/2016 – Customs (ADD), dated the 29th November, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. number 1101 (E) dated the 29th November, 2016;

And whereas, the designated authority, *vide* notification No.04/11/2020-DGTR, dated the 15th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15th September, 2020, in the matter of circumvention of the anti-dumping duty imposed on imports of ‘Axle for Trailers’ originating in or exported from the People’s Republic of China, had initiated an investigation to determine the need for extending the anti-dumping duty imposed on imports of ‘Axle for Trailers’, originating in or exported from the People’s Republic of China, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 54/2016-Customs (ADD), dated the 29th November, 2016, published *vide* G.S.R. 1101(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 28th July, 2017, to the imports of ‘Axle for Trailers in Completely Knock Down and Semi Knock Down condition’ falling under the tariff headings 8716 90 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from the subject country into India and subsequently the designated authority in its final findings, published *vide* notification No.04/11/2020-DGTR, dated the 14th September, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 had recommended imposition of the existing anti-dumping duty imposed on the imports of ‘Axle for Trailers’, originating in or exported from the People’s Republic of China, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 54/2016-Customs (ADD), dated the 29th November, 2016, published *vide* G.S.R. 1101(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 29th November, 2016, on the ‘Axle for Trailers in Completely Knock Down/Semi Knock Down condition’, originating in or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on imports of ‘Axle for Trailers in Completely Knock Down/Semi Knock Down condition’, originating in or exported from the People’s Republic of China, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.69/2021-Customs (ADD), dated the 13th December, 2021, published *vide* G.S.R. 854(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 13th December, 2021 and this anti-dumping duty was to be effective from the 13th December, 2021 and would be co-terminus with the anti-dumping duty on ‘Axle for Trailers’ as levied *vide* aforesaid notification No. 54/2016-Customs (ADD), dated the 29th November, 2016, published in the official Gazette *vide* number G.S.R. 1101(E), dated the 29th November, 2016;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 7/7/2021-DGTR, dated the 27th October, 2021, has *inter alia* come to the conclusion that, -

- (i) the fact that the dumped imports continued even after anti-dumping duties and there are practices like circumvention to evade the duties in place show a strong likelihood situation that rate of imports may increase significantly if the existing anti-dumping duties are revoked;

- (ii) that there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties at this stage,

and has recommended continued imposition of an anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 54/2016- Customs (ADD), dated the 29th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1101(E), dated the 29th November, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

Sl. No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	8716 90 10	Axle for Trailers*	China PR	Any country including China PR	Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd.	0.16	Kg	United States Dollar
2	8716 90 10	Axle for Trailers*	China PR	Any country including China PR	Any producer other than serial no 1	0.31	Kg	United States Dollar
3	8716 90 10	Axle for Trailers*	Any country other than China PR	China PR	Any producer	0.31	Kg	United States Dollar

* includes 'Axle for Trailers in Semi Knocked Down / Completely Knocked Down condition' i.e., in an unassembled, unfinished or incomplete form.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, suspended and amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act, 1962.

[F. No. CBIC-190354/15/2022-TRU Section-CBEC]

JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.